कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य/मा–स/22492/प्रवेशोत्सव/2018–19/75 दिनांक :– 14-06-18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय

विषय :– समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को **ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत"** घोषित किए जाने के क्रम में।

प्रसंग :– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर का अ0शा0 पत्रांक राप्राशिप/प्रवेशोत्सव/18–19/2200 दिनांक 04.06.2018, क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.2018 एवं क्रमांक 1998 दिनांक 28.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए है। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया होगा। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण दिनांक 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/0 ड्रॉप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है।

ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश/मापदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.05.2018 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित किए गए है। पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को यह निर्देशित करे कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत **ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत"** घोषित हो सकें।

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चिन्हित बालक/बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित करवाया जाकर शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवाई जानी अनिवार्य है।

ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को "उजियारी पंचायत" घोषित किए जाने के संदर्भ में मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको पूर्व में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा जारी किए जा चुके है। इसी क्रम में वर्ष 2018–19 के लिए "उजियारी पंचायत" की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की समयावधि निम्नानुसार है :–

1. प्रवेशोत्सव प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण – 03 जुलाई 2018 तक
2. चिन्हिकृत बालक/बालिकाओं का शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेशन – 10 जुलाई 2018 तक
3. उजियारी पंचायत हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण – 11 जुलाई से 20 जुलाई 2018 तक

4. उपखण्ड स्तरीय भौतिक सत्यापन – 05 अगस्त 2018 तक
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन – 20 अगस्त 2018 तक
6. जिला निष्पादन समिति द्वारा अनुमोदन – 30 अगस्त 2018 तक
7. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान – 05 सितम्बर 2018

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित करवाया जाकर शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवाई जानी अनिवार्य है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/1998 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की गतिविधिवार तिथियां सुनिश्चित की गई है। इस हेतु आप :–

1. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन हेतु गतिविधिवार उल्लेखित तिथियों में समस्त जिलों में गतिविधियां करवायी जानी सुनिश्चित करावें।
2. उक्त कार्यक्रम की निदेशालय स्तर से गहन मॉनिटरिंग की जाएगी अतः निदेशालय स्तर पर नामित जिला प्रभारी अधिकारियों को कार्यक्रम निरीक्षण एवं आप द्वारा नियुक्त प्रभारी/अधिकारी को प्रगति की समीक्षा हेतु जिलों में भेजा जाए।
3. शैक्षणिक सत्र 2018–19 में दिनांक 05 सितम्बर 2018 को होने वाले जिला स्तरीय समारोह में उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान पत्र दिया जाना है।
4. उजियारी पंचायत की घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कार्मिकों को भी सम्मानित किया जावेगा।

इस सम्बन्ध में आप व्यक्तिशः रूचि लेकर उजियारी पंचायत घोषणा के इस कार्य को निश्चित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करवाएं।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर संस्था प्रधानों को निर्देशित कार्यवाही की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

DD(Sec)

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

24.05.18

क्रमांक : 1487 दिनांक : 24/5/18

P81 Email 1124 118 25/05/18

निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त जिला कलक्टर्स।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
समस्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त शिक्षा संभाग।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।

विषय : समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को <u>ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत"</u> घोषित किये जाने के संदर्भ में मानदण्ड।

संदर्भ : पूर्व पत्र क्रमांक JAI/PFEE/ प्रवेशोत्सव/2018-19/244/दिनांक 06.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये है। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात अनामांकित/0 ड्राप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है।

<u>ड्राप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत</u> घोषित किये जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश/मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित करे कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत <u>ड्राप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत</u>" घोषित हो सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

24/5/18

(नरेश पाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : 1488 दिनांक : 24/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
15. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा।
16. समस्त बीईईओ/पीईईओ।
17. रक्षित पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजथान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने हेतु मानदण्ड

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2018–19 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा।

"उजियारी पंचायत" की घोषणा हेतु मापदण्ड –

1.2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक–बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।

1.2.2 5–6 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

1.2.4 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

1.2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित / ड्रापआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया हैं एवं वे कक्षा में प्रवेशित और अध्यनरत है।

1.2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक–बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।

1.2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया –

1.3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिये आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमश ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

1.3.2 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।

1.3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।

1.3.4 उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जावेगा तत्पश्चात ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) को प्रेषित किया जावेगा।

1.3.5 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामाकन से वंचित नही है के आशय का सरपंच, पीईईओ, पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)

1.3.6 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. बीईईओ / एबीईईओ
2. आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ
3. उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

1.3.7 ब्लॉक स्तरीय भौतिक सत्यापन दल सत्यापन की तिथि के संबंध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा।

1.3.8 भौतिक सत्यापन के समय सम्बन्धित पंचायत के सरपंच एवं सम्बन्धित वार्ड के वार्डपंच को भी यथासम्भव साथ रखा जावें और इस बाबत् सम्बन्धित पीईईओ द्वारा उन्हें पूर्व में सूचित किया जायेगा।

1.3.9 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकोर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा। ।

1.3.10 आवेदनों के भौतिक सत्यापन के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रैण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक–बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकोर्ड से किया जायेगा।

1.3.11 भौतिक सत्यापन के दौरान सर्वे में हाउस हाल्ड के साथ–साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस–पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा, बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा आदि को भी सम्मिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।

1.3.12 सत्यापन दल द्वारा प्रमाणिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भी भिजवायी जावें।

1.3.13 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जायेगा। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. जिला शिक्षा अधिकारी माशि / प्राशि / एडीईओ / एडीपीसी (एसएसए / रमसा)
2. भिन्न पंचायत समिति की पंचायत का पीईईओ
3. कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

1.3.14 जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक

हो) में उपलब्ध रिकोर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से भी मिलान किया जायेगा।

1.3.15 जिला कलक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार समितियां भौतिक सत्यापन पश्चात अनुशंषा रिपोर्ट डीईओ माध्यमिक को प्रेषित करेगी।

1.3.16 डीईओ माध्यमिक द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

1.3.17 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

उजियारी पंचायत की घोषणा

1.4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को **"उजियारी पंचायत"** घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी में दिया जावेगा।

1.4.2 उजियारी पंचायत घोषणा का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्बन्धित पीईईओ कार्यालय को दिया जावेगा।

1.4.3 उजियारी पंचायत घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक/कार्यालय को ब्लॉक/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी को सम्मानित किया जाकर उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

1.4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर **"अनामांकित/ड्राप आउट फ्री उजियारी पंचायत"** लिखवाया जावे।

1.4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता उजियारी पंचायत को दी जावेगी।

ड्राप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" की घोषणा

(यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

मैं.......................................सरपंच ग्राम पंचायत................................, मैं.. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत..................................मैं................................... ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत..मै.. महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत.. हम संयुक्त रूप से घोषणा करते है कि हमारी ग्राम पंचायत..ब्लॉक.......................... जिला..................................में 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिकायें अपनी आयु के अनुरूप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत है और कोई भी बालक–बालिका ड्राप आउट अथवा अनामांकित नहीं है तथा **पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या निम्नानुसार है –**

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक | **ग्राम सचिव** | **पीईईओ** | **सरपंच**

नाम .... नाम.................................... नाम............................ नाम ....

विद्यालय का नाम

....

D:\REI 2018\Praveshotsav\ujiyari panchayat.docx/18.05.18

75

प्रमाण–पत्र

उजियारी पंचायत

<u>अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ....में कोई भी बालक–बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से वंचित नहीं है। और न ही कोई बालक–बालिका अनामांकित/ड्रॉप आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत................................. ब्लॉक... जिला.. को शैक्षिक सत्र .... के लिये अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत" घोषित किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक..................................को जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला...

रैण्डम सर्वे प्रपत्र

क्र.	बालक / बालिका का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	हाउस होल्ड नम्बर	वार्ड नम्बर	राजस्व ग्राम / ढाणी / अन्य	नामांकित / अनामांकित / ड्राप आउट	अनामांकित / ड्राप आउट है तो मुख्यधारा से जुड़ाव (हाँ / नहीं)	यदि नामांकित है तो विद्यालय का नाम	अनामांकित / ड्राप आउट है तो विद्यालय का नाम	कक्षा